# संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

## अध्याय द्वितीय

# संबधित साहित्य का पुनरावलोकन

## 2.1 संबधित साहित्य का पुनरावलोकन

### संबधित साहित्य के पुनरावलोकन का अर्थ

संबधित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से संबधित सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान–कोशों , पत्र–पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध–प्रबंधों एवं अभिलेखों से है। जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्त्ताओं को अपनी समस्याओं के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

### संबधित साहित्य के पुनरावलोकन का महत्व

इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए

**1. गुड बार तथा स्केटस 1976 कहते है :–**

"एक कुशल चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधि संबंधी आधुनिकतम खोजों से परिचित होता रहे, उसी प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु छात्र अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा अनुसंधानकर्त्ता के लिए भी उस क्षेत्र से सबंधित सूचनार्थ खोजों से परिचित होना आवश्यक है।"

**2. चार्टर वी. गुड 1999 के अनुसार :–**

"मुद्रित साहित्य के अपार भंडार की कुंजी, अर्थपूर्ण समस्या और विश्लेषणीय परिकल्पना के स्त्रोत का द्वार खोल देती है तथा समस्या के परिभाषीकरण अध्ययन की विधि का चुनाव तथा प्राप्त सामग्री के तुलनात्मक विश्लेषण में सहायता करता है। वास्तव में रचनात्मकता, मौलिकता तथा चिंतन के विकास हेतु विस्तृत एवं गंभीर रचना आवश्यक है।"

**3. जॉन डब्लू बेस्ट के 2002 के अनुसार :–**

व्यावाहारिक दृष्टि से सारा मानव ज्ञान पुस्तकों एवं पुस्तकालयों से प्राप्त किया जा सकता है। अन्य जीवों के अतिरिक्त, जो व्यक्ति पीढ़ी में नये सिरे से प्रारंभ करते हैं,

मानव समाज अपने प्राचीन अनुभवों को संग्रहीत एवं सुरसित रखता है। ज्ञान के अथाह भंडार में मानव का निरंतर योग सभी क्षेत्रों में उसके विकास का आधार है।

इस प्रकार सभी लेखकों ने एकमत से अनुसंधान कार्य की कुशलता के लिए संधंधित साहित्य का अध्ययन अपरिहार्य माना है। संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन प्रत्येक अनुसंधान की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। प्रस्तुत अध्ययन से संबंधित अध्ययन पूर्व में बहुत कम हुए है। अधिकांश अध्ययन बाल–अपराधियों से संबंधित हुए है किंतु उपेक्षित बच्चों से संबंधित,अध्ययन बहुत ही कम हुए है क्योंकि यह सर्वथा नया विषय है।

## 2.2 संबंधित शोध/अध्ययन

सन् 1980 से सन् 2000 के बीच में शोध/अध्ययन का विवरण :

1. **उल्मार (1981)** : ने अपने अध्ययन में पाया कि जब घरेलू अनुशासन अधिक कठोर होता है या अधिक लचीला होता है तो इससे बालक/बालिकाओं को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है।

2. **वेहलर एवं उनके सहयोगियों (1981)** : ने अपने अध्ययन में पाया कि जिन माता–पिता के संबंध अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे नहीं होते हैं, उनका उनके बच्चों पर नियंत्रण भी अच्छा नहीं रह जाता है और ऐसे बच्चे प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से घर परिवार और समाज में उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं।

3. **लैगनर (1982)** ने अपने अध्ययन में पाया कि दोषपूर्ण अनुशासन बच्चों को उपेक्षित बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। किसी काम को करने पर यदि बच्चे को माता–पिता में से एक के द्वारा प्यार तथा दूसरे के द्वारा डॉट मिलती है तो बालक/बालिका के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा उसमें उपेक्षा की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है।

4. **भट्टाचार्य (1983)** : ने अपने अध्ययन में 22 शारीरिक दुर्व्यवहार से संबंधित मामलों का विश्लेषण किया तथा पाया कि अधिकतर मामले निम्न आर्थिक सामाजिक परिवारों से आये बच्चों के है।

5. **भारत में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार – ''उपेक्षित बालकों पर'' 1988**

इस सेमिनार में बताया गया कि – उपेक्षित बच्चे क्या होते हैं, इनके क्या कारण हैं और उनका उपचार किस प्रकार से संभव है। सेमिनार में यह कहा गया कि भारत में

उपेक्षित बच्चों की समस्या अभी प्रारंभिक अवस्था में है और उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे उसका निवारण किया जा सके।

6. **सुब्रहम्मवयम् वाय. एस. और पी. सोंधी के** द इंडियन जनरल ऑफ सोशल वर्क 1990 में लिखे लेख–''चाइल्ड पोरटर्स'' साइक्रो सोशल प्रोफाइल ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन :–

से ज्ञात होता है कि अध्ययन कर्त्ताओं ने फृटपाथी बच्चों पर अपना अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला है कि –

फुटपाथी बच्चे जिनके पास अपने परिवार का कोई सहयोग नहीं है उन पर शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, मनौवैज्ञानिक रूप से प्रभाव पड़ता है गॉव की गरीबी इनके परिवारों को शहर लाती है। कभी परिवार सहित और कभी अकेले सभी लोग काम की तलाश में आते है। अध्ययन से पता चलता है कि अधिकांश बालकों ने माता–पिता की उपेक्षा के कारण घर छोडा। फुटपाथ पर रहकर बच्चों को किसी प्रकार की शारीरिक और सामाजिक सुरक्षा नहीं रहती है वो भय के वातावरण में काम करतें हैं उनकों भय रहता है कि कहीं पुलिस उन्हें पकडकरि 'रिमाण्ड होम्स' न पहुचा दें।

7. **केवलमणी, जी. एस. (1990)** ने 10 से 16 वर्ष की आयुवर्ग के 267 बच्चों पर अध्ययन किया जिनमें से 124 मामले शारीरिक दुर्व्यवहार, 23 यौन दुर्व्यवहार तथा 103 सावेंगिक दुर्व्वहार के थे उन्होंने पाया कि लडकियों के साथ लड़कों की उपेक्षा अधिक यौन दुर्व्यवहार किया जाता है।

8. **आहुजा (1992)** ने अपने अध्ययन में पाया कि 21 प्रतिशत बलात्कार के मामलों में परिवक्वता या क्रूरता अधिक थी। जिमसें 10 वर्ष से 16 वर्ष की लडकियाँ पीडित थी।

9. **कल्याणी के. सुमन (1999)** के शोध का उद्देश्य चुने हुए दैनिक अखवार में प्रकाशित बच्चों के विरूद्ध समाज में होने वाली हिंसक घटना के उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण करना था। जिसके लिए उन्होंने चुना दैनिक अखवारों की 82 घटना का चयन किया गया। जिनमें से अधिकतर घटनायें बलात्कार, चोरी, हत्या, सौतेले माता/पिता द्वारा अत्याचार आदि घटनायें शामिल की गई। शोध का निष्कर्ष यह निकला कि –

1) अन्य सभी प्रकार की शारीरिक एवं भावनात्मक शोषण की अपेक्षा बलात्कार संबंधित हिंसा अधिक होती है।

2) बलात्कार की शिकार लड़की को पुरूष साथी की तुलना में अधिक सामाजिक तिरस्कार सहन करना पड़ता है तथा पुरूष साथी की अपेक्षा शोषित और उपेक्षित होती है।

3) अधिकतर घटनाओं में लड़की से बलात्कार करने वाले उसके नज़दीकी या रिश्तेदार, पड़ोसी होते थे।

10. **एस. हरनाथ एवं वी. देवी प्रसाद के** ''द इंडियन जनरल आफ सोशल वर्क 1999 में लिखे लेख'' जुवेनाइल होम इन्मेट्स'' बैकग्रांउछड करेक्टरस्टिकल' से ज्ञात होता है कि :–

अध्ययनकर्त्ताओं द्वारा किशोर गृह आंधप्रदेश का अध्ययन किया गया। इनके अध्ययन के उद्देश्य थे–किशारे' गृह में रहने वाले बालको के सामाजिक जनांकिकीय लक्षणों का पता लगाना साथ ही माता पिता व उनके परिवार की पृष्ठभूमि का पता लगा कर इस बात को ज्ञात करना कि बालक का अकेले में व समूह के साथ क्या व्यवहार है व किशोर गृह में उसे क्या सुविधाएं दी जा रही है इसका पता लगाना।

इनके अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि सभी बालक जिन परिवारों से आये हैं उनकी अल्प आय है, एकल परिवार से है जहा का शैक्षिक स्तर निम्न है। उनके माता पिता उनके साथियों या नियोक्ता द्वारा अल्प आयु में ही इन बालकों के साथ उपेक्षित व्यवहार किया गया है।

सभी बालकों के परिवार हिंदु शहरी पृष्ठभूमि के थे एवं वे सभी की औसतन आयु 13 वर्ष थी। ये सभी बालक औसतन तीन वर्ष से अपने परिवार से अलग हो चुके थे। संस्था में आने से पहले ये सभी बाल श्रमिक या भिखारी थे। संस्था में इन्हें शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था ताकि ये बालक अपने पैर पर खडे हो जाये।

1. उल्मार 1981 ने अपने अध्ययन में पाया कि जब घेरलू अनुशासन अधिक कठोर होता है या अधिक लचीला होता हैं तो इससे बालक बालिकाओं को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है।

2. वेहलर एवं उनके सहयोगियों (1981) ने अपने अध्ययन में पाया कि जिन माता पिता के संबंध अपने पड़ौसियों के साथ अच्छे नहीं होते हैं, उनका उनके बच्चों पर नियंत्रण भी अच्छा नहीं रह जाता है और ऐसे बच्चे प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से घर परिवार और समाज में उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं –

3. लैंगनर (1982) ने अपने अध्ययन में पाया कि दोषपूर्ण अनुशासन बच्चों को उपेक्षित बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। किसी काम को करने पर यदि बच्चे को माता–पिता में से एक के द्वारा प्यार तथा दूसरे के द्वार डॉट मिलती है तो बालक/बालिका के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा उसमें उपेक्षा की पृवत्ति उत्पन्न हो जाती है।

3) अधिकतर घटनाओं में लड़की से बलात्कार करने वाले उसके नज़दीकी या रिश्तेदार, पड़ोसी होते थे।

10. **एस. हरनाथ एवं वी. देवी प्रसाद के** ''द इंडियन जनरल आफ सोशल वर्क 1999 में लिखे लेख'' जुवेनाइल होम इन्मेट्स'' बैकग्रांउछड करेक्टरस्टिकल' से ज्ञात होता है कि :–

अध्ययनकर्त्ताओं द्वारा किशोर गृह आंधप्रदेश का अध्ययन किया गया। इनके अध्ययन के उद्देश्य थे–किशारे गृह में रहने वाले बालको के सामाजिक जनांकिकीय लक्षणों का पता लगाना साथ ही माता पिता व उनके परिवार की पृष्ठभूमि का पता लगा कर इस बात को ज्ञात करना कि बालक का अकेले में व समूह के साथ क्या व्यवहार है व किशोर गृह में उसे क्या सुविधाएं दी जा रही है इसका पता लगाना।

इनके अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि सभी बालक जिन परिवारों से आये हैं उनकी अल्प आय है, एकल परिवार से है जहा का शैक्षिक स्तर निम्न है। उनके माता पिता उनके साथियों या नियोक्ता द्वारा अल्प आयु में ही इन बालकों के साथ उपेक्षित व्यवहार किया गया है।

सभी बालकों के परिवार हिंदु शहरी पृष्ठभूमि के थे एवं वे सभी की औसतन आयु 13 वर्ष थी। ये सभी बालक औसतन तीन वर्ष से अपने परिवार से अलग हो चुके थे। संस्था में आने से पहले ये सभी बाल श्रमिक या भिखारी थे। संस्था में इन्हें शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था ताकि ये बालक अपने पैर पर खडे हो जाये।

1. उल्मार 1981 ने अपने अध्ययन में पाया कि जब घेरलू अनुशासन अधिक कठोर होता है या अधिक लचीला होता हैं तो इससे बालक बालिकाओं को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है।

2. वेहलर एवं उनके सहयोगियों (1981) ने अपने अध्ययन में पाया कि जिन माता पिता के संबंध अपने पड़ौसियों के साथ अच्छे नहीं होते हैं, उनका उनके बच्चों पर नियंत्रण भी अच्छा नहीं रह जाता है और ऐसे बच्चे प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से घर परिवार और समाज में उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं –

3. लैंगनर (1982) ने अपने अध्ययन में पाया कि दोषपूर्ण अनुशासन बच्चों को उपेक्षित बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। किसी काम को करने पर यदि बच्चे को माता–पिता में से एक के द्वारा प्यार तथा दूसरे के द्वार डॉट मिलती है तो बालक/बालिका के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा उसमें उपेक्षा की पृवत्ति उत्पन्न हो जाती है।